विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 21, शनिवार, 17 अप्रैल, 1999/27 चैत्र, 1921 (शक)

विषय	कालम
मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव	1—31,32—52
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	3—15
मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी सदस्य द्वारा मतदान करने के बारे में टिप्पणी	32

11.3297

लोक सभा

शनिवार, 17 अप्रैल, 1999/27 चैत्र, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[अनुवाद] विश्वास मत 1-52

मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव - जारी

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी, कृपया आप बोलिए।

(व्यवधान)

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : कृपया मुझे पांच मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कल की बैठक आज सुबह छह बजे तक चली थी। कृपया बैठ जाइए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : कृपया मुझे पांच मिनट बोलने की अनुमति दें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया उन्हें एक मिनट बोलने की अनुमति दे दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ सोज, कृपया बैठ जाइए। अब प्रधान मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ सोज, कृपया बैठ जाइए। आप अभी नहीं बोल सकते। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब प्रधान मंत्री जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप उन्हें एक मिनट बोलने की अनुमति दे दें।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : जी, नहीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यमूर्ति और श्री मुथैया जी, कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : हम कह रहे हैं कि हम सुबह 5.45 बजे तक बैठे थे। यह सब क्या है?

श्री वैको (शिवकाशी) : अब प्रधान मंत्री जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब यह परम्परा ही नहीं है इसलिए आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह सब क्या है? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री जी, कृपया आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री लालू प्रसाद जी कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह कोई तरीका नहीं है। यह सब क्या है? कृपया बैठ जाइए।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति कैसे दे सकता हूं? कृपया यह समझ लीजिए कि यह प्रक्रिया नहीं है। कल की बैठक आज सुबह छह बजे तक चली थी। आपको पता होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल की बैठक आज सुबह छह बजे तक चली थी। आपको पता होना चाहिए।

श्री शरद पवार (बारामती) : यह एक संवेदनशील मुद्दा है। कृपया मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद पवार जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कोई नया उदाहरण शुरू न करें।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : वे कल यहां उपस्थित नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : कल की बैठक आज सुबह छह बजे तक चली थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको मेरी बात समझनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्यों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, परसों विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करते हुए मैंने यह कहा था कि मैं कुछ कहने से पहले सुनना चाहूंगा। अब आज मेरी बारी है, इसमें रूकावट नहीं डाली जानी चाहिए। प्रतिपक्ष की ओर से यह शिकायत की गई है कि अल्पमत में आते ही...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, माइक ठीक नहीं है, इसे सुधरवायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी, क्या आप दूसरे माईक का भी प्रयोग करेंगे?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजयेपी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, वे मुझे सुनना चाहते है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपको तो हम सुनना ही चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं कह रहा था कि यह शिकायत की गई है और इसके लिए मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैंने राजनैतिक नैतिकता का पालन नहीं किया। संसद की बैठक चल रही है। प्रतिदिन सदस्यों को, प्रतिपक्ष को सरकार के विरूद्ध मतदान करने का अवसर मिलने वाला था।

श्री मुलायम सिंह यादव : सबसे पहले आप चंद्रशेखर जी को उनके जन्म दिन पर बधाई दे दीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब सदन का नेता बोल रहा हो तो व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या बधाई भी नहीं देने दोगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सदन में...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आज चंद्रशेखर जी का बर्थ डे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसका बर्थ डे है?

अध्यक्ष महोदय : आज चंद्रशेखर साहब का बर्थ डे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुत-बहुत बधाइयां।

अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 साल से मैं संसद से जुड़ा हुआ हूं। मैंने अल्पमत की सरकारें भी देखी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में अल्पमत की सरकार थी। किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया कि वह नैतिकता का उल्लंघन कर रही हैं। श्री नरसिंह राव जी भी अल्पमत की सरकार चलाते रहे।

उस अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए क्या-क्या किया गया, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर प्रतिपक्ष मेरे बहुमत को कसौटी पर कसना चाहता था, तो स्वयं प्रस्ताव ला सकता था। अभी तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि महामहिम राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने की बजाय, प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? जब राष्ट्रपति जी ने कहा कि आपको विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए, हम तत्काल तैयार हो गए। दो दिन बहस चली है, अब समाप्त होने जा रही है। बहस और भी अच्छी हो सकती थी। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हैं भी, लेकिन हमारी संसद देखकर, अभी-अभी जो देश लोकतंत्र की धारा से जुड़े हैं, वे क्या अनुभव करते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपों और प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा? आरोप लगाए जाएं, तो उनकी पुष्टि में कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रैस में या मीडिया में जो कुछ छपा है, उसको दोहरा दिया जाए, यह तरीका हो सकता है, मगर अर्थपूर्ण तरीका नहीं है, बहुत कारगर तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी सरकार को बने 13 महीने हुए हैं। हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राजकर्ता हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता

हूं, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था, तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच आ रही है, तो क्या सत्ता में आने के बाद, मैं बदल गया हूं, क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे, उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, चुनाव के बाद परिणाम आए, एक मिलीजुली सरकार बननी निश्चित थी। अंतिम समय में भी हमसे राष्ट्रपति जी से कहा था कि जितनी संख्या होनी चाहिए और लोकतंत्र संख्या का खेल है, हमारे पास नही है। अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है, तो आप निमंत्रण दीजिए, हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे। लेकिन कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। 13 महीने बाद तैयार हो गए, अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रतिपक्ष ने कहा कि हम रचनात्मक विरोध करेंगे। हम किसी का साथ नहीं लेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। ऐसा लगता है कि पचमढ़ी बहुत दूर रह गई है। नए गठबंधन हो रहे है। हमारे गठबंधन पर टिप्पणी की गई है। नए गठबंधन हो रहे है। हम तो मिलकर चुनाव लड़े थे। अधिकांश दल मिलकर चुनाव लड़े थे। शासन की बागडोर संभाली तो देश के सामने नैशनल एजेंडा प्रस्तुत किया, लेकिन आज हमें हटाने के लिए निषेधात्मक रवैये में, नकारात्मक रवैये में ऐसे दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनके बीच विचारों का कोई साम्य नहीं है। हम तो प्रारंभ से यह कहते रहे हैं कि भारत की राजनीति जिस तरह का मोड़ ले रही है उसमें क्षेत्रीय दलों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्षेत्रीय दलों का उभार, हमारी विविधता का परिचायक है। यह इस बात का भी संकेत है कि जो अपने को अखिल भारतीय दल कहते हैं, वे प्रदेशों की आशाओं और आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सके हैं। 13 महीने हम सरकार चलाते रहे हैं, अनेक क्षेत्रीय दल हमारे साथ हैं। जो बाद में हमें छोड़कर चले गए उन्होंने भी ऐसा रवैया नहीं अपनाया जो इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए आपत्तिजनक हो। उनसे मतभेद हुए, लेकिन देश की एकता में उनका विश्वास डिगा नही। यह एक ऐसा शुभ लक्षण है जिसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1998 के अपने इलैक्शन मैनीफैस्टो में रीजनल पार्टीज की जिस तरह से निन्दा की वह स्वच्छ दृष्टिकोण का परिचय नहीं देती है। मैं उद्धृत कर रहा हूं –

[अनुवाद]

> "अपनी खास प्रकृति के कारण क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय आधार की कमी है तथा वे स्थानीय जातीय विचारधाराओं से कभी ऊपर नहीं उठ सकते। वे सत्ता में आने के लिए लोकप्रिय आधार अपनाते हैं। वे संकीर्ण भाषाई या जातीय भावनओं को बढ़ावा देते हैं। जल्दी ही ये कार्यसूचियां आर्थिक विनाश और सामाजिक उपद्रव का कारण बनती हैं।"

[हिन्दी]

अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में यह आकलन है, तो इसके साथ गठबंधन आप कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस ने वाममार्गी पार्टीज़ के बारे में टिप्पणी की है। मैं उसे भी उद्धृत कर रहा हूं। हमारे वाममार्गी मित्र उसे सुनें

[अनुवाद]

जहां तक वामपंथी दलों का संबंध है, सात दशकों के बाद भी, सी पी आई और सी पी आई एम अपने आपको राष्ट्रीय मुख्य धारा में समेकित करने में सक्षम नहीं हो सके हैं।

[हिन्दी]

यह गंभीर आरोप है। यह कांग्रेस मैनीफैस्टो का हिस्सा है, एक उद्घोषणा है। अब शायद इसलिए गठबंधन हो रहा है कि लैफ्ट पार्टीज को नैशनल मैनस्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें उनसे किसी तरह का प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनता दल असमंजस में था। पता नहीं, उसने क्या फैसला किया है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता दल का जिस भाषा में उल्लेख किया है, उसे जनता दल के मित्रों को फिर से याद करना चाहिए।

[अनुवाद]

> "जनता दल का जन्म 1989 में कांग्रेस विरोधी आंदोलन के रूप में हुआ था। यह अहम् द्वारा क्षुब्ध समूह है और कटु व्यक्तियों का समूह है। इसे गंभीर राजनैतिक गठन नहीं कहा जा सकता। एक एमिबा की तरह यह छोटे-मोटे समूहों में बंटकर ही चल रहा है। इसका सामाजिक न्याय का आधार खोखला है। और विघटनकारी जातिगत राजनीति की परम्परा का भ्रामक कवच ही है।"

[हिन्दी]

अगर मिलने का यह आधार बनने वाला है, तो फिर स्थिरता की बातें कोई अर्थ नहीं रखती हैं। मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और मेरी सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि इसमें अंतर्विरोध से ग्रस्त पार्टियां हैं। आप जिस ढांचे को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं और जो पूरा नहीं होगा, वह क्या एक विचार से अनुप्राणित है? क्या कोई कार्यक्रम है, क्या नेतृत्व एक है? उस दिन श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप हट जाइये, हम पांच मिनट में नही एक मिनट में विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या देश को यह जानने

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुए सरकार को आप हटाने की बात कर रहे हैं...(*व्यवधान*) अगर किसी को जनादेश था, तो हमको था, आपको तो नहीं था।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : दस पार्टियों को 25 प्रतिशत और केवल हमारी पार्टी को 21 प्रतिशत वोट मिले हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, तेरह महीने के कार्यकाल में हमने अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह आंखों देखा हाल तुरंत रोका जाए अन्यथा हम हस्तक्षेप करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कोई आंखों देखा हाल नहीं होना चाहिए। यह सब क्या है?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा आधार नैशनल एजेंडा है। हमने उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। नैशनल एजेंडा पांच साल का कार्यक्रम है। उसे निश्चित कार्याविधि में पूरा करने का हमारा इरादा है। क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि हमने जब सत्ता संभाली, उस समय देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति में सुधार हुआ है? चाहे वह देश की सुरक्षा का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा हो, हमारा यह दावा अधिकारपूर्ण है कि हमने हरेक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है।

यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया कि देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था। हम प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था क्योंकि वह देश की रक्षा के लिए किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्म-रक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर पहले से तैयारी हो तो जो खतरा आने वाला है, वह खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था।

परमाणु परीक्षण के बारे में भी चन्द्र शेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन पचास साल का हमारा अनुभव क्या बताता है। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है, वह एक चेतावनी है। पोखरण-2 टैस्ट कोई आत्म-श्लाघा के लिए नहीं था। वह कोई पुरूषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं कि यह देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वह क्रेडिबिल भी होना चाहिए, इसीलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आयेंगी, यह हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ।

आर्थिक प्रतिबन्ध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा सम्बन्धी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं हैं, हम उनके विरूद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बन्द करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता है। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शान्ति रही, दो शिविरों में बंटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ, इसके मूल में कहीं न कहीं यह बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज़ आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है।

आलोचना तो अग्नि-2 की भी हुई है और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ, जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारी एक अपनी पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गये हैं, इसलिए अग्नि-2 का परीक्षण रोक दिया गया है। उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था, विदेशों में भी भ्रान्ति उत्पन्न कर सकता था।

अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न आगे करेंगे। मैं नहीं समझता कि भारत में कभी ऐसी सरकार आएगी जो दबाव में काम करेगी। लेकिन ऐसी सरकार आ चुकी है, यह मुझे मालूम है। क्या हमारे परमाणु परीक्षण से पहले जो सरकारें थीं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की सरकार, वह इस सम्बन्ध में आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरामण जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह उस समय रक्षा मंत्री थे, जिस पद पर बाद में मुलायम सिंह जी आरूढ़ हुए वेंकटरामण जी ने यह रहस्योद्घाटन किया कि तैयारी हो गई थी परीक्षण की, पोखरण जाने के लिए साज-सामान प्रस्तुत था, मैं परीक्षण के समय उपस्थित रहने वाला था, लेकिन परीक्षण नहीं हुआ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव था। क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव में हम काम

क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे? दबाव तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हम दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता सुरक्षित रहनी चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा, तभी सामाजिक न्याय की स्थापना के काम में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर सीमाएं अक्षुण्ण रहेंगी, तभी देश के मानस को निर्णाण के कार्य की ओर, परिश्रम की पराकाष्ठा करने की दिशा में प्रवृत्त किया जा सकता है।

हम तीन बार हमलों के शिकार हुए हैं। ऐसी नौबत फिर से नहीं आनी चाहिए। हम किसी पर हमला करने की तैयारी नहीं करते हैं, इरादा भी नहीं रखते हैं। मुझ से यह सवाल पूछा गया कि पोखरण-2 लाहौर की बस यात्रा, इनमें क्या सम्बन्ध है? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपनी रक्षा के लिए शक्ति और फिर मित्रता का हाथ, ईमानदारी से मित्रता का हाथ, लेकिन आत्मरक्षा की तैयारी भी ईमानदारी से। मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने कल इस बात का उल्लेख किया था कि जब 1977-78 में जनता सरकार बनी थी, श्री मोरारजी भाई प्रधान मंत्री थे तो मुझे विदेश मंत्रालय का काम सौंपा गया था। तब भी मैंने पड़ोसियों के साथ मित्रता के सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयास किया था। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी सम्बन्ध सुधरे हैं। जो सम्बन्ध सुधरे हैं, उनके बारे में कहना कि सम्बन्ध नहीं सुधरे हैं, यह राष्ट्र के कौन से हित को संवद्धत करता है? उन देशों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दुनिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? श्रीलंका के साथ मुख्य व्यापार समझौता हुआ है। नेपाल के साथ ट्रांजिट संधि हुई है। कलकत्ता-ढाका के बीच में बस चलने वाली है। इसका परीक्षण हो रहा है। नेपाल में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं और पहला अवसर ऐसा आया है जब उस चुनाव में भारत का मुद्दा नहीं है, भारत को लेकन आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी नहीं लगायी जा रही है, भारत की नीति से वहां के राजनैतिक दल भी संतुष्ट हैं। हम किसी पड़ौसी देश में दखल नहीं देना चाहते लेकिन हम किसी को अपने मामलों में दखल देने भी नही देंगे, इसलिए जब मैं लाहौर गया तो उसी समय राजौरी में हत्याकांड हुआ था, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से तत्काल हमने वह मामला उठाया। मैंने उनसे कहा कि अगर इस तरह के हत्याकांड होंगे तो फिर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा और सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा तो सहयोग के रास्त नहीं खुलेंगे।

जम्मू-कश्मीर की स्थिति आज बदल गई है। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उनको भी रोकना पड़ेगा। इसमें योगदान करना पड़ौसी का कर्तव्य है लेकिन जम्मू-कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन के लिए अगर श्रेय जाता है तो वहां की जनता को जाता है। वह शांति से अपना जीवन निभाना चाहती है। अब उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। भावनाएं भड़काकर उनके हाथों से गलत काम कराने का प्रयास अब आगे सफल नहीं होगा। आजकल जम्मू-कश्मीर खबरों में नहीं है। अगर है तो इस दृष्टि से है कि वहां कितने पर्यटक जा रहे हैं, वहां कितने यात्री गये, फिल्म बनाने के लिए कौन सी कम्पनियां वहां इन दिनों डेरा डाले हुए हैं। यह सुधरी हुई स्थिति का परिचायक है। उत्तर पूर्व की स्थिति को सुधारने में भी हमें थोड़ी सफलता मिली है। आगे प्रयत्न जारी हैं। उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाये गये, और भी कदम उठाये जाएंगे। सचमुच में ये मुद्दे नहीं हैं। यह हमारे राष्ट्रीय प्रश्न हैं।

कल यह कहा गया कि हमने प्रतिपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। अपने नेशनल एजेंडा में कंसेसस विकसित करने की बात कही थी मगर व्यवहार में ऐसा नहीं किया यह आरोप ठीक नहीं है। जहां चर्चा की आवश्यकता थी, हमने चर्चा की है। जहां विश्वास में लेना आवश्यक था, हमने विश्वास में लिया है। इतने बड़े और विविधता से परिपूर्ण इस देश को साथ-साथ चलाना केवल सरकार के बूते की बात नहीं है। इसमें सभी पक्षों का दायित्व है। क्या प्रतिपक्ष में हम थे तो हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया? क्या श्रीमति इंदिरा गांधी ने हमें जानकारी दे दी थी कि पोखरण में परीक्षण होने वाला है, आप प्रतिपक्ष में हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह की जानकारी पहले नहीं दी जाती है लेकिन हमने उसे शिकायत का मुद्दा नहीं बनाया। और भी इस तरह के सवाल आते रहे। हमारा प्रयास है कि हम सबकी सलाह से आगे बढ़ें, सबके सहयोग से समस्याओं का समाधान करें। इसमें प्रतिपक्ष को भी अपना दायित्व पूरा करना होगा। विचार-विनिमय के और भी अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कल महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी हमें आलोचना का निशाना बनाया गया। अलग-अलग दलों से बातचीत हुई है। अगर यह विश्वास हो जाए कि विरोध नहीं होगा, छीनाझपटी नहीं होगी तो हम कल विधेयक लाने के लिए तैयार हैं, उसको पास कराने के लिए तैयार हैं लेकिन पिछली बार...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : कल किसी ने देखा है क्या?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, एक सर्वानुमति बनी थी कि विधयेक जिस रूप में हैं, उसी रूप में पारित किया जाए और अलग-अलग वर्गों को अगर प्रतिनिधित्व देना है तो उस पर बाद में विचार किया जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब हमारे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है; सारी दुनिया जानती है कि राज्यसभा में हमें बहुमत प्राप्त नहीं है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिपक्ष के सहयोग से वहां पारित भी होते रहे हैं। प्रतिपक्ष ने उन्हें महत्वपूर्ण समझा और वह देश की दृष्टि से आवश्यक भी थे। उसमें सहयोग दिया लेकिन प्रतिपक्ष में मतभेद के कारण जो विधेयक रह गये, उनके लिए हमें दोषी ठहराना, यह हमारे साथ न्याय करना नहीं है। हम उन्हें फिर से लाने का प्रयास करेंगे। जब हमने सत्ता संभाली थी तो देश की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम थी। क्या कोई इंकार कर सकता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है? कोई इससे इंकार नहीं कर सकता है। अगर संकुचित, संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर भी आलोचना की जाए तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले छः महीने में स्थिति सुधरी है- 5.8 परसेंट जी.डी.पी. का होना, 32 बिलियन रिजर्व और इंफ्लेशन 4.6 परसेंट- इसे मैनेज किया जा सकता है। बीच-बीच में राजनैतिक अस्थिरता का

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

वातावरण पैदा किया जाता है, उसका अर्थ-व्यवस्था पर कितना कुछ कुप्रभाव पड़ता है, यह आजकल हम देख रहे हैं। क्या प्रतिवर्ष यह खेल होगा? अगर आपकी सरकार बनती है तो मिली-जुली सरकार में आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रतिपक्ष के समर्थन से ज्यादा समर्थन हमें प्राप्त है, या यह सहयोग, यह मित्रता केवल हमें हटाने तक सीमित है। देश को अंधेरे में रखा जाएगा? देश को विश्वास में नहीं लिया जाएगा? क्या इसे नैतिकता की संज्ञा दी जाएगी? जो कुछ है, वह खुले में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देश को मजबूत होना, आर्थिक स्थिति में सुधार, देश के भीतर शान्ति का और सहयोग का वातावरण, कुछ दुर्घटनायें हुई हैं इतना बड़ा देश है, लेकिन उन्हें तत्काल रोकने की कोशिश हुई है। इन विषयों पर मेरे मित्र जो पहले बोले थे, वे प्रकाश डाल चुके हैं। श्री यशवन्त सिन्हा ने विस्तार से आर्थिक स्थिति की चर्चा की, उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसे सदन के सामने रखा है इस बार अन्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। भण्डारण की व्यवस्था कम पड़ रही है। इसका श्रेय किसानों को दिया जाएगा, हम श्रेय लेने का दावा नहीं कर रहे हैं। बरसों से अपनाई गई नीति, अपने सुपरिणाम दिखा रही है। लेकिन अगर बाढ़ आ जाए, अगर तूफान आ जाए और फसल नष्ट हो जाए, तो फिर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सबको एक जुट होने की जरूरत है, मगर उसमें राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा पैदा होती है। इस मनोवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारे किसान बधाई के पात्र हैं। किसानों की समस्यायें हमारे सामने हैं। पिछली बार यूरिया के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब किसानों की ओर से, अनेक संगठनों की ओर से मांग हो रही है कि किसानों का बोझा कम होना चाहिए। हम उन्हें आश्वासन देना चाहते है कि उनके बोझ को कम करने के लिए पूरे प्रयास किए जायेंगे। इसके लिए कदम उठाए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इनपुट् के दाम कम हों, यह बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं से किसान कैसे बच सकें, इसका प्रबन्ध आवश्यक है। फसल बीमा योजना तैयार है। कृषि नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पूछा जा रहा है कि आपको साल भर हो गया, आप कृषि नीति नहीं बना सके? आपको तो पचास साल हो गए फिर भी आप देश को कृषि नीति नहीं दे सके। कृषि नीति बनाई जा रही है। उसमें सबके साथ विचार विनिमय की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। किसानों के हित का सवाल है। इसमें सबका सहयोग आवश्यक है।

पिछले सत्र में उन मैंमोरेंडम्स को लेकर उग्र भावनायें प्रकट की गई थीं, जिनका संबंध अजा/अजजा और पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन से है। रिजर्वेशन की अवधि समाप्त हो रही है। सरकार ने फैसला किया है कि अगले दस साल के लिए इस अवधि को बढ़ाने का विधेयक हम सदन के सामने लेकर आयेंगे। 1997 में जो मैमोरेंडम्स निकाले गए थे, उनमें से दो अदालत में हैं। हमारा प्रयास है कि उसमें अदालत जल्दी से फैसला करे। एक विषय को लेकर विधेयक तैयार है और उसे इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवश्यक है कि सेवाओं में अजा/अजजा और बैकवर्ड क्लास के लिए जो बैंकलाग है, उसको भरने का रास्ता निकाला जाए। अभी जो व्यवस्था है, यह संतोषजनक नहीं है। उसके चलते तो बरसों तक बैकलाग पूरा नहीं होगा, बल्कि नया बैकलाग तैयार होता जाएगा। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। इसके लिए भी सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। इस सवाल पर परिगणित जातियों व पिछड़े वर्ग के बन्धुओं की भावनाओं को हम समझते हैं। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अब तेजी से काम होगा। जो सदस्यों की तथा इन वर्गों की इच्छा और अपेक्षा है, उसे पूरा किया जाएगा।

एक प्रश्न जो काफी चर्चा का विषय बना है...

श्री बूटा सिंह (जालौर) : हमने कहा था कि कन्सैन्सस कर लीजिए और सब को बुला लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : करेंगे।

श्री बूटा सिंह : यह बात मानी होती, तो यह मसला संसद में ही हल हो जाता।...(*व्यवधान*) हमारे भी प्रधान मंत्री हैं, आप कब्जा क्यों कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कह सकते हैं।...(*व्यवधान*) आपने वैसा नहीं किया है, नही तो यह मसला हल हो जाता।...(*व्यवधान*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक विषय जिसका चर्चा में उल्लेख किया गया है, वह नौसेना के अधिकारी को उनके पद के हटाए जाने का मामला है।

मध्याह्न 12.00 बजे

मेरे मित्र रक्षा मंत्री जी ने उस संबंध में सदन के सामने कुछ विचार प्रकट किए थे। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, उसको पढ़ें। वह दस्तावेज प्रचार के लिए नहीं हैं, वह तथ्यों का विवरण है। तथ्यों के आधार पर फैसला होना चाहिए, आरोपों-प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं। उस दस्तावेज को पढ़ने के बाद अगर सदन इस परिणाम पर पहुंचता है कि इस मामले में कुछ और करने की आवश्यकता है तो सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा। एक सुझाव आया है, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ये प्रश्न खड़ा किया था कि क्या हम चर्चा भी नहीं कर सकते है चर्चा हवा में नहीं होनी चाहिए, चर्चा आरोपों और प्रत्यारोपों के वातावरण में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए और वह ठोस आधार अब है। जो दस्तावेज प्रकाशित हुआ है उसे आधार बना कर चर्चा की जा सकती है। सदन के कुछ प्रमुख सदस्यों की समिति भी बनाई जा सकती है। श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री गुजराल, मुलायम सिंह यादव जी, चन्द्र शेखर जी उनको हाथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। शिवराज पाटील जी तथा और भी नाम आवश्यक हो तो उनका इसमें समावेश किया जा सकता है। वे तथ्यों को देख लें और अगर वे परिणाम पर पहुंचते हैं कि सदन में चर्चा के साथ-साथ कोई संसदीय समिति भी होनी चाहिए तो सरकार उस पर आपत्ति नहीं करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन आरोप-प्रत्यारोप को आधार बना कर, मीडिया में प्रकाशित सामग्री को

लेकर अगर आरोप लगते हैं तो किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आरोप लगाने वाले कम से कम यह तो अनुभव करें कि उनसे उनकी बात को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। रक्षा मंत्री जी ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, वक्तव्य दिए हैं, वह सर्वदलीय समिति, जो आपके कक्ष में मिली थी उसके निर्णय के अनुसार किए हैं। उन्होंने किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। उन्होंने सदन या देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं की, मगर जब देश के रक्षा मंत्री जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगते हैं तो सारी व्यवस्था पर चोट होती है, उनके दिल पर भी आघात लगना स्वाभाविक है। उसका रास्ता निकाला जा सकता है, समस्याओं के हल ढूंढे जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बात को संदेह की नजर से देखने की आदत छोड़ दें।

कोई सार्वजनिक प्रश्न आता है तो तत्काल मन में यह सवाल उठता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। अगर दाल में काला है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

हम 40 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस समझौते के लिए कल तैयार होते तो आज यहां विश्वास मत प्राप्त करने की नौबत ही नहीं आती। हमने मिलीजुली सरकार को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की है।

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : नहीं चली।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चल रही है और आज शाम को और तेजी से चलेगी। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के चलने या न चलने का सवाल नहीं है। यह देश चलेगा या नहीं चलेगा, जनता का निर्णय मान्य होगा या नहीं होगा। एक मिलीजुली सरकार की आलोचना करने के बाद फिर से मिलीजुली सरकार बनेगी तो क्या यह उन दोषों से बचेगी जिनके लिए हमको अपराधी करार दिया जा रहा है। मिलीजुली सरकार की सीमाएं हैं।...(व्यवधान) उन सीमाओं को अभी हमें समझना है और आचरण करना है। कांग्रेस पार्टी का संकोच और झिझक मैं समझ सकता हूं। लेकिन मन बंटा हुआ है। हमें हटाने की उत्कट लालसा, सत्ता में भागीदार बनने की इच्छा और उसके साथ अपने बल पर आगे बढ़ने का फैसला - इसमें कठिनाइयां हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि कठिनाइयों को हल करने का लोकतांत्रिक तरीका निकाला जाएगा। अच्छा है, दो दिन बहस चली है। गर्मागर्म, जरूरत से ज्यादा गर्म बहस हुई। थोड़ा संयम चाहिए और यह बात सभी दलों पर लागू होती है। लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा आभूषण और हथियार है जिसे एक जीवन-व्यवस्था के रूप में हमने स्वीकार किया है। हर नागरिक को उसके अंदर समानता की गारंटी प्राप्त है। इस देश को एक रखने के लिए लोकतंत्र को सबल और पुष्ट करना आवश्यक है।

संगमा जी ने इंस्टीट्यूशन्स की बात कही थी। बाद में चन्द्रशेखर जी ने उस पर जोर दिया। संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए, कुछ मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। मेरे बारे में कहा गया कि मैं तो पालन करना चाहता हूं लेकिन मुझे इस तरह से घेर कर रखा गया है कि मैं विवश और लाचार हो जाता हूं। इतना कमजोर तो मैं नहीं हूं। राष्ट्र के हित के लिए जो निर्णय आवश्यक हैं वे हमने सारी शक्ति और संकल्प के साथ किए हैं। पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को और खास करके मुलायम सिंह जी को जो कभी-कभी बड़े कठोर बन जाते हैं, यह बात कहां से दिखाई देती है कि मेरे और आडवाणी के बीच मतभेद हैं?...(व्यवधान) सोच-विचार करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी विद्वता पर कभी मुझे शक नहीं है। आपको मुखौटा कहा गया, इसलिए मुझे अफसोस है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुखौटे की चिन्ता मत करिए, मुखौटा उतर कर फेंका जा सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर यह मुखौटा उतर जाएगा तो हम आपके साथ होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बहुत अच्छा। फिर आने के लिए तैयार रहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : जिस दिन आप यह मुखौटा उतार देंगे, हमें कोई विरोध नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मतभेद की बात हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार और श्री शिव शंकर जी के बीच तो समझ में आ सकती है, लेकिन हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आडवाणी जी और मेरा साथ केवल राजनीति का साथ नहीं है। जब मैं पहली बार लोक सभा में चुनकर आया था, तब से आडवाणी जी मेरी सहायता कर रहे हैं और मुझे सहयोग दे रहे हैं। भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन किया है। अलग-अलग सवालों पर राय भिन्न हो सकती है। क्या आप सब एक राय के हैं? मुलायम सिंह जी, क्या आप में और बेनी प्रसाद जी में किसी मामले को लेकर राय अलग-अलग नहीं होती है? ...(व्यवधान) मुझे मालूम है।

श्री मुलायम सिंह यादव : कभी नहीं होती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि फैसले का वक्त आ गया है। आप तय करिए। हमें जो सेवा करने का मौका मिला था, हमने 13 महीनों में इस बात का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प करेंगे? आखिर चुनाव पांच साल के लिए होते हैं। 13 महीने का काल कोई बहुत लम्बा काल नहीं है लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। उनकी आलोचना करके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत आरोप लगा कर अपनी झुंझलाहट, कड़वाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आप उनको मत मानिए। क्या वह जनमत का प्रकटीकरण नहीं है? लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार चले। लोग चाहते हैं कि

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हमें सेवा करने का आगे मौका मिले। मुझे विश्वास है कि यह सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के मुख्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे यहां आए हुए हैं। वे सदस्य हो सकते हैं परन्तु वे मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं। साथ ही, क्या वे यहां मतदान करेंगे? क्या यह नैतिक भी होगा? मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि पहले आप अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, आप बैठ जाइए। श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेणुगोपालचारी, आप बैठ जाइए। माननीय सदस्यो, कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, श्री पी॰आर॰ कुमारमुंगलम ने अनुरोध किया है कि श्रीमती विजया राजे सिंधिया और श्री शिवराज सिंह चौहान, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें व्हीलचेयर्स पर दीर्घा में लाया गया है, को आन्तरिक दीर्घा में मतदान करने की अनुमति दी जाए। यदि सभा अनुमति देती है तो उन्हें आन्तरिक दीर्घा में मतदान करने की अनुमति दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हां,

अध्यक्ष महोदय : उनकी देखभाल के लिए एक डाक्टर भी वहां हो।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैंने सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में आपको पत्र लिखा है। इस संबंध में सर्वोदाहरण और विनिर्णय हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा मतदान के बारे में उसकी अनुमति है या नहीं, इस बारे में विनिर्णय दें।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, वे इस सभा के नियमित सदस्य हैं। उन्होंने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया है और वे किसी अन्य सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए इस सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में उन्हें इस विशेष अवसर पर इस सभा में मतदान करने का पूर्ण अधिकार है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : अध्यक्ष महोदय, उन्हें उड़ीसा जाने दो और वहां अपना कार्य करने दो।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : महोदय वे उड़ीसा सरकार, उड़ीसा की संचित निधि से उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इस नाते...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : उन्होंने राज्य विधान सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि वे राज्य विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और इसीलिए उन्हें यहां मतदान करने का पूरा अधिकार है। जब तक वे इस सभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देते उन्हें यहां मतदान करने का पूरा अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह कानून की ए बी सी और संसदीय परम्पराओं को नहीं जानते हैं।

[अनुवाद]

श्री नवीन पटनायक : उन्हें उड़ीसा जाने दो और वहां का काम करने दो। उड़ीसा में करने के लिए बहुत सारा काम है। उन्हें भुवनेश्वर में सचिवालय में वापस जाने दो...*(व्यवधान)* उन्हें उड़ीसा जाने दो ...*(व्यवधान)* वे उड़ीसा सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। उन्हें वहां वापस जाने दो...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : अध्यक्ष महोदय वे उड़ीसा के मुख्य मंत्री हैं। वे यहां कैसे आ सकते हैं और मतदान कैसे कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करते हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें कानून की कोई गुंजाइश नहीं हैं, आपको वोट रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस बारे में नियम कहता है, संसदीय प्रणाली कहती है। इसमें गलत परिपाटी नहीं डाली जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो भी शिवशंकर कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उन्हें वोट देने का अधिकार है, वोट डालना शुरू हो गया है, आप बटन दबाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के॰ करूणाकरन (तिरूअनन्तपुरम) : इस संबंध में अनेक पूर्वोदाहरण हैं। मैं कई पूर्वोदाहरणों को उदधृत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिवशंकर का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका औचित्य क्या है।...*(व्यवधान)* उन्हें निर्रह कैसे किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पी॰ शिवशंकर का नाम पुकारा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान के अन्तर्गत केवल भारत का राष्ट्रपति ही किसी सदस्य को निर्रह कर सकता है। यह एक सुस्थापित प्रक्रिया है। उन्हें निर्रह कैसे किया जा सकता है।?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिवशंकर का नाम पुकारा है। क्या आप कुछ कहने जा रहे हैं?

श्री पी॰ शिवशंकर (तेनाली) : हां...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवशंकर कुछ बात उठाना चाहते हैं। मैंने उनका नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री पी॰ शिवशंकर : महोदय, उस बिन्दु को उठाने के लिए निरर्थक और अनर्गल तर्क दिये जा रहे हैं...*(व्यवधान)* आप मेरे बोलने में व्यवधान क्यों डालते जा रहे हो?...*(व्यवधान)* किसी व्यक्ति के निर्वाचित होने के बाद उसे संविधान के अनुच्छेद 99 के अन्तर्गत शपथ लेनी या प्रतिज्ञान करना होता है जो श्री गिरिधर गमांग ने की थी। मैं अनुच्छेद 99 को पढ़ता हूं :

"संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।"

श्री गिरिधर गमांग ने वह किया था। फिर स्थानों का रिक्त होना या सदस्य की निर्रहता संविधान के अनुच्छेद 101 के अन्तर्गत होती है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है :

"(1) कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी।

(2) कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और 2 (किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।"

वह महत्वपूर्ण है। वह विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी॰ शिवशंकर : "...यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति...।" उसे विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए केवल तब ही ऐसी अवधि की समाप्ति पर ...*(व्यवधान)* कृपया अनुच्छेद 101(2) देखिए जिसमें लिखा है :

"(2) कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य विधान-मंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।"

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी॰ शिवशंकर]

अब चूँकि वे वहां निर्वाचित नहीं हुए हैं अतः वे यहां सदस्य बने रहेंगे। इस संबंध में पूर्वोदाहरण हैं। श्री बंसीलाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में यहां मतदान करने आए थे। इस प्रकार के पूर्वोदाहरण हैं अतः मेरे विचार से उसका कोई आधार नहीं है ...(*व्यवधान*)

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): महोदय, कृपया संविधान का अनुच्छेद 102 देखिए। इसमें कहा गया है :-

(1) कोई व्यक्ति व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा -

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले या निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

यहां अनुच्छेद 101 लागू नहीं होता है। यहां अनुच्छेद 102 लागू होता है...(*व्यवधान*) नहीं, मैं नहीं झुक रहा हूँ, अतः किसी राज्य के राज्यपाल का पद लाभ का पद है...(*व्यवधान*)। संसद के उस दृष्टिकोण से यह लाभ का पद है...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मुझे खेद है कि मानव संसाधन विकास मंत्री को संवैधानिक प्रावधानों का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है। महोदय जिस अनुच्छेद का अभी उल्लेख किया गया है उसका स्पष्टीकरण देखिए यह प्रासंगिक है। अनुच्छेद 102 के स्पष्टीकरण में कहा गया है :

"इस खंड के प्रयोजन के लिए...।"...(*व्यवधान*) डा॰ जोशी अनुच्छेद 102(1)(क) पढ़िए। उसी अनुच्छेद के स्पष्टीकरण में कहा गया है :-

"इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।"

...(*व्यवधान*) महोदय अनुच्छेद 103(1) के अन्तर्गत "यदि कोई प्रश्न...(*व्यवधान*) महोदय, कुछ अनजान लोगों का समूह हैं। माननीय मंत्री महोदय भारत के संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। वह कुछ नहीं जानते।

कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिण कलकत्ता) **:** वह कुछ नहीं जानते ...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनुच्छेद 103 के अनुसार इस मुद्दे पर यह सभा भी निर्णय नहीं ले सकती है। अनुच्छेद 103 में कहा गया है :

"(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

महोदय, आप अयोग्य नहीं ठहरा सकते। आप अभी भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया।

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) **:** महोदय, मैंने दस वर्ष तक इस सभा की अध्यक्षता की है। अनेक परम्पराएं हैं और मेरा अनुभव है कि सदस्यों ने ऐसे समय में मतदान किया था। इसलिए, उन्हें अयोग्य ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें इन बातों का और अधिक उल्लेख नहीं करना चाहिए। जब तक कि वह वहां निर्वाचित नहीं हो जाते वह यहां मतदान कर सकते हैं और उन्हें वहां मतदान के 14 दिन के बाद इस्तीफा देना चाहिए अन्यथा कोई प्रश्न नहीं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी॰सी॰ थॉमस, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री आडवाणी को बात करने के लिए बुलाया है।

(*व्यवधान*)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कानून के ज्ञाता बैठे हैं। मैं संविधान में कानून पर चर्चा कर रहा था। लेकिन जहां तक कि संसद की कायवाही का संबंध हैं, जो बात अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि जब विगत में यही स्थिति उत्पन्न हुई थी...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) **:** मैं इस्तीफा देकर यहां पर आई हूं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं। मैं संसद सदस्य रहते हुए मुख्य मंत्री बनाई गई थी। मैं विधान-सभा से इस्तीफा देने के बाद संसद में आई थी ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज़ : महोदय, मैं मुख्यमंत्री के रूप में कभी संसद में नहीं आई। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में संसद में मतदान नहीं किया। मैं विधान सभा से इस्तीफा देकर यहां आई थी...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह क्या है? अब श्री एल॰के॰ आडवाणी।

(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय हम न्यायालय के समक्ष बहस नहीं कर रहे हैं हम अध्यक्ष के सामने बहस कर रहे हैं। संसद के मामले में जो बात सबसे अधिक संगत है। वह यह है कि जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो विगत में क्या हुआ था। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो इस संबंध में पीठाध्यक्ष ने क्या विनिर्णय दिया था?

आज मेरे सामने वह स्थिति है जो 1972 में उत्पन्न हुई थी जब श्री सिद्धार्थ शंकर रे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के कार्यालय का कार्यभार संभाला था, ने गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री के माध्यकरने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में लोक सभा में बोलने की अपनी इच्छा जाहिर की थी...(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : यह सही है...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह पीठाध्यक्ष का विनिर्णय है। उन्हें यह बताया गया था कि एक सदस्य जिसने राज्य में मंत्री का कार्यभार संभाला हुआ हो, वह सभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता है ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, मैंने आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है?

(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, दूसरे मामले में श्री बसन्तराव पाटिल, सदस्य, जिनको महाराष्ट्र के मुख्य-मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, थोड़ी देर के लिए सभा में आए; उन्होंने सभा में केवल प्रवेश ही किया था। तत्काल, प्रो॰ मधु दंडवते ने सभा में उनकी उपस्थिति पर आपत्ति की और वह तत्काल सभा छोड़ कर चले गए।

मैंने इन दो मामलों का उदाहरण दिया है। एक मामले में मुख्य मंत्री तत्काल सभा छोड़ कर चले गए जब उनकी उपस्थिति पर आपत्ति की गई थी। दूसरे मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने केवल सभा में बोलने की इच्छा जाहिर की थी और पीठाध्यक्ष ने यह विनिर्णय दे दिया था कि वह सभा में नहीं बोल सकते हैं; वह सभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई भी विनिर्णय संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, इस मामले में उड़ीसा के मुख्य मंत्री सभा के मतदान में हिस्सा लेने आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक भी हो सकता है और जो देश का इतिहास भी बदल सकता है...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे गृह मंत्री जी की घबराहट का पता चलता है...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं आपसे अपील करूंगा कि पीठाध्यक्ष द्वारा दिए गए पूर्व विनिर्णयों का सम्मान करते हुए आपको श्री गिरिधर गमांग को वापस उड़ीसा जाने के आदेश देने चाहिए।...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको उनका स्वागत करना चाहिए था। यह आपकी नैतिकता...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जयपाल रेड्डी को बोलने के लिए बुलाता हूं।

(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें उनके द्वारा नैतिकता के संबंध में बताया गया था।...(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : जी हां...(*व्यवधान*)

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैं आपके द्वारा श्री आडवाणी से निवेदन करना चाहूंगा कि कानून और भारत के संविधान में व्यक्त प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए वह इस परिपाटी का उदाहरण नहीं दे सकते हैं, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। अब मुझे संविधान से पढ़ने दीजिए।...(*व्यवधान*) अनुच्छेद 101 स्थानों की रिक्तियों के संबंध में है...(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : प्रतिनिधि के माध्यम से वोट देने के संबंध में आप क्या कहेंगे? यह प्रतिनिधि के माध्यम से वोट देना है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति दी है।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जयपाल रेड्डी को अनुमति दी है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं संक्षेप में संवैधानिक स्थिति संबंधी कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। अनुच्छेद 101 स्थानों की रिक्तियों के संबंध में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 सदस्यों की निरर्हताओं के संबंध में है। यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया गया है तो वह अयोग्यता अनुच्छेद 103 के अधीन के सिवाय स्वतः ही लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 103 का आहवान् नहीं किया गया है। इस सभा में कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि किसी को अयोग्य ठहरा सके। श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्य मंत्री थी। वह दूसरी सभा की सदस्य बनीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अपने स्थान से इस्तीफा

[श्री एस॰ जयपाल रेड्डी]

दिया। वह वापस आई और मैंने उनका पक्ष लिया। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था लेकिन इस का लाभ उठाकर भा॰ज॰पा॰ के नेता तथा कम से कम आडवाणी जी इस स्थिति में असत्य नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जयपाल जी ने मेरा नाम लिया है।...(*व्यवधान*)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : पहले मुझे मौका दीजिए।...(*व्यवधान*)

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं, हम बोलेंगे, वे हमारी तरफ बैठ गये।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आप पहले मुझे बोलने दीजिए। मुलायम सिंह जी, आप जरा बैठिये।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे, आप बैठ जाइये। पहले सुषमा जी बोलेंगी।

(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जयपाल रेड्डी जी ने ...(*व्यवधान*) रघुवंश जी, आप जरा बैठिये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : नियम की अवहेलना हो रही है। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको नहीं पुकारा है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आपने मुझे आईडेंटीफाई किया, लेकिन बोल वे रहे हैं। आप उन्हें बैठाइये तो मैं अपनी बात कहूं। मुझे बोलने तो दो न।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये प्लीज। आपको बाद में बुलाएंगे। आप बैठ जाइये। मैंने सुषमा जी को काल किया है।

(*व्यवधान*)

यह क्या है? आप हमेशा व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर सुनिये। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : पाइंट ऑफ ऑर्डर बाद में सुनेंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सबसे ऊपर पाइंट ऑफ ऑर्डर है, हमारा पाइंट ऑफ ऑर्डर सुना जाये।...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनका पाइंट ऑफ ऑर्डर सुन लिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या हैं?

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : रूल 376 क्लाज 6 का सब-क्लाज़ सी देखा जाये।

[अनुवाद]

नियम 376, खण्ड 6, उपखण्ड 'ग' में कहा गया हैं :-

> "कोई सदस्य जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सभा के सामने रखा जा रहा हो, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठाएगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, आपने क्वश्चन पुट कर दिया कि विश्वास के प्रस्ताव पर हां कह दें, ना कह दें। हम लोगों ने ना कह दिया। अब घंटी बजाई जानी चाहिए। बीच में पाइंट ऑफ ऑर्डर की कोई गुंजाइश नही है। नियम पर मैं खड़ा हूं, इस नियम को माना जाये और देखा जाये कि तीन वोट के बीच में कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता। सी पार्ट में लिखा है :-

[अनुवाद]

नियम 376, खंड 6 उपखण्ड 'ग' में कहा गया है :-

> "कोई सदस्य जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सभा के सामने रखा जा रहा हो, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठाएगा।"

[हिन्दी]

देख लीजिए जो साफ लिखा हुआ है, लिखतन के आगे वक्तम नहीं होगा। लिखा हुआ कानून पालन किया जाए, आपने प्रश्न पुकार दिया है इस पर वोट कराया जाए, इसमें कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न बीच में नहीं आता। आप इस पर नियमन दीजिए और वोट कराया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री ने अभी दो उदाहरण देते हुए यह बात सदन में रखी कि एक बार श्री सिद्धार्थ शंकर राय को मुख्य मंत्री रहते हुए इस सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी गई...(*व्यवधान*) सुनिए तो सही, आप सवाल उठा रहे हैं तो जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा कि दूसरी बार एक मुख्य मंत्री के सदन में प्रवेश पर ही आपत्ति की गई। श्री जयपाल रेड्डी ने मेरा नाम लेकर कहा कि सुषमा जी कैसे मुख्य मंत्री बनीं और कैसे सदन के सामने आई। मैं आपके सामने क्लियर रिकार्ड रखना चाहती हूँ। मैने उसी स्थापित परम्परा का निर्वाह किया। मैं संसद का सदस्य रहते हुए दिल्ली की मुख्य मंत्री बनी। अध्यक्ष जी, 28 नवम्बर को संसद का सत्र शुरू हुआ। चार तारीख तक चूंकि मैं मुख्य मंत्री थी, एक बार भी मैंने सदन में प्रवेश तक नहीं किया, हाउस की प्रोसिडिंग में भाग लेने की बात तो दूर की है। एक बार भी मैंने संसद में इस सभागृह में प्रवेश नहीं किया। पांच तारीख को मैंने असेम्बली से इस्तीफा दिया। संविधान में क्लियर है कि दोनों सीटों में से एक सीट रख सकती थी। पांच दिसम्बर को मैंने असेम्बली से इस्तीफा दिया और हाउस में प्रवेश किया और हाउस की प्रोसिडिंग में हिस्सा लेना शुरू किया। मुख्य मंत्री रहते हुए मैंने एक बार भी सदन की बैठक में भाग नहीं लिया। यहां तक कि सभागृह में प्रवेश नहीं किया। इसलिए सुषमा स्वराज ने उसी परम्परा का निर्वाह किया जिसका उद्धरण माननीय आडवाणी जी ने दिया है। जयपाल रेड्डी जी का या उधर के सदस्यों का यह कहना कि सुषमा जी संसद सदस्य रहते हुए मुख्य मंत्री कैसे बन गई थीं, सरासर गलत है, सरासर बेबुनियाद है। मैंने उसी परम्परा का निर्वाह किया हैं जिसका उद्धरण यहां गृह मंत्री जी ने दिया।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : चेयर को भी बोलना है, चेयर के पास भी किताब है।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) **:** महोदय, मैं कुछ स्पष्ट कर रहा हूं। वह सब लोगों को सब कुछ स्पष्ट कर देगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका निवेदन क्या है?

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : मैं जो कहने जा रहा हूं उससे आपको निर्णय लेने में अवश्य मदद मिलेगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष से केवल एक संसद सदस्य को मुख्य मंत्री के साथ में चुना गया था। कांग्रेस के पक्ष से दो संसद सदस्यों को मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया था पहला राजस्थान का और दूसरा उड़ीसा का। राजस्थान के मामले में वह विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उड़ीसा के मामले में चुनाव नहीं हुए। वह विधानसभा के सदस्य नही हैं।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन, आप सदनों के बारे में नहीं कह रहे जहां वह चुने गए थे बल्कि श्री गिरधर गमांग के बारे में बात कर रहे हैं।

(*व्यवधान*)

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : जब मैं व्हिप जारी कर रहा था तो मैंने विधि विशेषज्ञों के साथ भी इस मामले पर विचार किया था। तब मुझे सलाह दी गई थी कि श्रीमती सुषमा स्वराज इस सदन ही सदस्य थी और मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी। मुख्य मंत्री बनते ही यदि वे अपनी सदस्यता खोती हैं तो वे भी खो देंगे। यदि उन्होंने संसद की सदस्यता खो दी है तो उन्हें लोगों द्वारा पुन निर्वाचित होकर आनी चाहिए। अब यदि वे सदस्यता खो देते हैं और यदि वह सदस्य नहीं हैं तो उनकी सदस्यता पहले ही समाप्त हो गई और वह बिना निर्वाचित हुए यहां नहीं आ सकते। मेरी यही राय है।

श्री शिवराज वी॰ पाटील (लातूर) **:** महोदय, मैं भारत के संविधान के तीन अनुच्छेदों का वर्णन कर रहा हूं। पहला अनुच्छेद जिसका मैं संदर्भ दे रहा हूं वह अनुच्छेद 100 है। अनुच्छेद 100 में इस प्रकार कहा गया है :-

> "इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।"

अन्तिम हिस्सा यहां सम्बन्धित नहीं है।

अब यह अनुच्छेद सदन में मतदान के लिए अत्यंत प्रांसगिक हैं। प्रत्येक प्रश्न का निर्णय सदस्य द्वारा किये गए मतदान के आधार पर ही किया जाना है। अब, क्या वर्तमान सदस्य, श्री गिरधर गमांग, इस सदन के सदस्य है अथवा नहीं हैं का निर्णय अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103 को पढ़कर किया जा सकता है।

अब अनुच्छेद 102 में यह प्रावधान है कि यदि इस सदन के किसी सदस्य की योग्यता, उसकी सदस्यता, के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो मामला राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय उस मामले को चुनाव आयुक्त के पास भेज देते हैं। चुनाव आयुक्त उस प्रश्न पर विचार करता है और राष्ट्रपति महोदय को अपने निष्कर्ष भेजता है; चुनाव आयुक्त द्वारा भेजे गए निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है और बताता है कि सदस्य योग्य है अथवा अयोग्य है। यह तो एक बात है।

दूसरा, मैं दल परिवर्तन रोधी कानून के अन्तर्गत निरर्हता पर आता हूँ। अब, इसका निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं किया जाता

[श्री शिवराज वी॰ पाटील]

है। मामला माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और माननीय अध्यक्ष यह निर्णय करते हैं कि क्या सदस्य योग्य है अथवा अयोग्य हैं। यदि माननीय अध्यक्ष कहते हैं कि सदस्य योग्य है तो वह बैठक में भाग लेता है और मतदान करता है और यदि वे कहते हैं कि वह अयोग्य है तो वह चला जाता है।

यहां तीसरा तरीका भी है, वह है सदस्य का त्यागपत्र। यदि सदस्य त्यागपत्र दे देता है और सदन से बाहर चला जाता है तो उसे मतदान की अनुमति नही दी जाती। ये तीन संभावनाएं हैं जिसपर मतदान हो सकता हैं।

अब, योग्यता अथवा निरर्हता का निर्णय अनुच्छेद 103 में दिया गया है।

अनुच्छेद 103 में इस प्रकार कहा गया हैं :–

> "यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

अब यहां एक सदस्य है जो इस सदन में निर्वाचित होकर आए हैं और जैसा कि श्री पी॰ शिव शंकर द्वारा बताया गया है वह इस सदन में आए उन्होंने शपथ ली और इस सदन की कार्यवाही में भाग लिया। इस प्रकार वह इस सदन के सदस्य अभी भी हैं। इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। आपने यह नहीं कहा है कि वे अनर्हित (अयोग्य) है। राष्ट्रपति महोदय ने नहीं कहा है कि वे अनर्हित (अयोग्य) है। उन्हें अधिकार है। वह उड़ीसा में विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। वे वहां मतदान नहीं कर सकते। उन्हें इस सभा का सदस्य होने के नाते मतदान देने का अधिकार है।

अपराह्न 1.00 बजे

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सदस्य को इस सभा में मतदान करने की अनुमति न देना गलत होगा क्योंकि उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया गया है। वह अर्हता प्राप्त सदस्य हैं और इस सभा में बैठे हुए है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक – माननीय सदस्य, रघुवंश प्रसाद सिंह का पाइंट बिलकुल सही है। दो – चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही माननीय गृह मंत्री जी चुनाव प्रक्रिया में बाधक बन गए। यह कोई नियम और कानून का सवाल नहीं है। सरकार हताश है, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप चुनाव प्रक्रिया शुरू कराइए।

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, कृपया संविधान के अनुच्छेद 88 पर नजर डालें।...(*व्यवधान*)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं...(*व्यवधान*)

श्री राम जेठमलानी : क्या आप युक्तिसंगत तर्क सुनना नहीं चाहते?...(*व्यवधान*) महोदय, संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है कि प्रत्येक मंत्री को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।...(*व्यवधान*) मुझे भी चर्चा में भाग लेने का अधिकार है। केवल प्रतिबंध यह है कि मैं मतदान नहीं कर सकता। यह संविधान का अनुच्छेद है। यदि वे इतने अनभिज्ञ हैं तो उन्हें संविधान का अनुच्छेद 88 पढ़ना चाहिए...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : लालू प्रसाद जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(*व्यवधान*)

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, मतदान की प्रक्रिया वास्तव में शुरू हो गई है। आपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, आपने मतदान के लिए कह दिया है। कुछ सदस्यों ने 'हां' कहा है। कुछ सदस्य ने 'ना' कहा है और श्री गिरधर गोमंग ने भी मतदान में भाग लिया है। इस पृष्ठभूमि में, मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति को, जो इस सभा का सदस्य भी नहीं हैं, सभा में कुछ कहने का अधिकार है। ...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटील के पांडित्य और विवेक की बहुत कद्र करता हूं। महोदय मैंने इस विषय पर श्री शिवराज पाटील जी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना है। मामला जिस पर आज इस सभा में चर्चा चल रही है वह यह नहीं है कि श्री गिरधर गमांग इस सभा के सदस्य हैं अथवा नहीं है अथवा वह अनर्हित (अयोग्य) हैं अथवा नहीं। मुद्दा तो यह हैं क्या एक उस सदस्य को, जो मुख्य मंत्री बन गया है इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है अथवा नहीं है ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप इस पर रूलिंग दीजिए। ...(*व्यवधान*) आपका नियमन चाहिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री एस॰ जयपाल रेड्डी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं कौल और शकधर द्वारा लिखित प्रस्ताव "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 816 से उद्धृत करता हूं। मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं कि वह कौल और शकधर की इस प्रस्ताव को ले और पृष्ठ संख्या 816 देखे। इसमें कहा गया है :–

> "जहां किसी सदस्य को राज्य का मंत्री नियुक्त किया जाता है तो ऐसा सदस्य यदि सदन में आता है तो उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।"

यहां मुद्दा यह नहीं है क्या श्री गिरधर गमांग अनर्हित हैं अथवा अर्हताप्राप्त मुद्दा यह है क्या उन्हें सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है अथवा नही। उस पर आज तक के इस प्रामाणिक दस्तावेज सहित जिसका हम इस सभा में हमेशा हवाला देते हैं भी विनिर्णय यह है कि वे कार्यवाही में भाग अथवा मतदान नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* श्री गिरिधर गमांग को पहले 308 मतविभाजन संख्या आबंटित की गई थी। उसे सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे सचिवालय किस प्रकार रद्द कर सकता है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : होम मिनिस्टर साहब ने चेयर के रूलिंग का हवाला दिया। संविधान और एक्ट पर चेयर की रूलिंग नहीं चल सकती, आप मिटा भी नहीं सकते। मान लीजिए बोनाफाइड मेम्बर ऑफ द लोकसभा, अगर कोई मेम्बर पार्लियामेंट में चुन कर आता है तो वह 14 दिन के अंदर एक जगह से इस्तीफा करेगा। संविधान का नियम एवं कायदा स्पष्ट है।...*(व्यवधान)* रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा है कि ये वोट डाल चुके हैं। अब इनको ज्यादा डाल्यूट ये करना चाहते हैं। आप डाल्यूशन में मत् जाइये, मेन-स्ट्रीम में आइये और वोटिंग शुरू कराइये।

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर : महोदय, हमारे मित्र द्वारा कुछ गलत पढ़ा गया है। वे सन्दर्भ के बाहर चले गए हैं। कृपया यदि आप इसे देखें इसमें कहा गया है।

> "यदि संसद के किसी सदस्य को राज्य में मंत्री नियुक्त किया जाता है लेकिन वह संसद में अपने पद के त्यागपत्र नहीं देता है, तो वह निरर्ह नहीं है।"

आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद 1977 में संविधान के अनुच्छेद 103 का संशोधन हुआ था जहां कहा गया है :–

[हिन्दी]

> "यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।"

[अनुवाद]

यह 1977 से प्रभावी हुआ है और इसका स्पष्टीकरण अंश जिसे मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पढ़ा गया 1985 से प्रभावी हुआ था, अतः जो उन्होंने पढ़ा वह 1971 का मामला श्री सिद्धार्थ शंकर रे के बारे में था। अगले संशोधन के कारण इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी (बापतला) : महोदय, मैं अप्रैल 1972 में राज्यसभा में निर्वाचित होकर आया था। 1978 में हालांकि मैं राज्यसभा का सदस्य था – मुझे उदाहरण देने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : दो सदस्य अनुपस्थित हैं और इसीलिए वे इसे खींच रहे हैं।

श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी : 1978 में मैंने मंत्री के रूप में शपथ ली...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : ये लम्बा इसलिए खींच रहे हैं कि उनके मैम्बर नहीं आये है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, कृपया आप अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया पीठाध्यक्ष को भी बोलने की अनुमति दीजिए। श्री लालू प्रसाद, कृपया बैठ जाइए। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : चूंकि दो सदस्य उपस्थित नही हैं वे मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इनके मैम्बर नहीं आए है इसलिए ये इसको लम्बा खींच रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

अपराह्न 1.15 बजे

मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी सदस्य द्वारा मतदान करने के बारे में टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 376 के उपनियम 6(ग) के अन्तर्गत कोई सदस्य तब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाएगा जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सभा के सामने रखा जा रहा हो। इसलिए इस मामले में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

माननीय सदस्यो सभा में श्री गिरिधर गमांग की उपस्थिति के बारे में माननीय संसदीय कार्यमंत्री से प्राप्त सूचना के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 101 (4) उपबंध के अनुसार यदि कोई सदस्य सभा की अनुमति के बिना साठ दिन की अवधि के लिए लोक सभा की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है।

ऐसे उदाहरण हैं जब सदस्यों ने राज्यों में मंत्री नियुक्त होने पर सभा में अनुपस्थिति के कारण अपनी सदस्यता से वंचित होने से बचने के लिए लोक सभा की उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किए हैं।

तथापि, कुछ मामलों में अध्यक्षपीठ ने टिप्पणी दी थी कि ऐसे सदस्य सदस्य बने रहेंगे किंतु सभा में विचार-विमर्श में उनकी भागीदारी वांछनीय नहीं है। तदनुसार ऐसे सदस्य सभा से वापस चले गए।

श्री गिरिधर गमांग, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, लोक सभा के सदस्य बने रहे। वे विश्वास प्रस्ताव पर अपना मत देने के लिए यहां आए हैं। उपर्युक्त उल्लिखित तथ्य के परिप्रेक्ष्य में विश्वास प्रस्ताव पर उनके द्वारा मतदान देने के प्रश्न के संबंध में मैं इसे सदस्य के विवेक पर छोड़ देता हूं।

अपराह्न

मंध्याह्न 1.19 बजे

मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव-जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में विश्वास व्यक्त करती है।" जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से पक्ष में अधिक सदस्य हैं।

अनेक माननीय सदस्य : विपक्ष में अधिक सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मत विभाजन होगा। दीर्घाएं खाली करा दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, दीर्घाएं खाली करा दी गई हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा॰ सुब्रहमण्यम स्वामी, कृपया बैठ जाइए।

माननीय सदस्यो यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है। कृपया इसे गंभीरता से सुनें।

अब मैं स्वचालित मत रिकार्डिंग मशीन को चलाने की विधि को स्पष्ट करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः अपील कर रहा हूं कि वे मेरी बात ध्यान से सुनें।

श्री लालू जी मैं आपसे भी कह रहा हूं। कृपया अपना हेडफोन चालू करें।

यदि आप हिन्दी में सुनना चाहते हैं तो नम्बर-2 बटन को दबाएं और यदि अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो नम्बर-3 बटन को दबाएं।

मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठे और उस स्थान से ही इस मशीन को चलाए।

आप मेरी कुर्सी के दोनों ओर परिणाम सूचक पट्ट पर लाल बल्ब देख सकते हैं जो पहले से जल रहा है इसका तात्पर्य है मतदान प्रणाली सक्रिय है।

मतदान के लिए पहली घंटी सुनने के तुरंत बाद निम्नलिखित दो बटन एक साथ दबाएं; ये दो बटन हैं :-

> पहला बटन सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर 'लाल' बटन है; और
>
> दूसरा बटन जो सीटों के डेस्क के ऊपर है, मतदान में आपकी पसंद का बटन है।

यदि आप पक्ष में मत देना चाहते हैं तो हरे रंग का बटन दबाएं। यदि आप विपक्ष में मत देना चाहते है तो लाल रंग का बटन दबाएं, यदि आप अनुपस्थित रहना चाहते हैं तो पीले रंग का बटन दबाएं। **महत्वपूर्ण सूचना :** जब तक दूसरी घंटी की आवाज सुनी जाती है और लाल बल्ब बंद नहीं होता तब तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है अन्यथा आपका मत दर्ज नहीं होगा। पिछली बार कुछ सदस्यों द्वारा गलती हुई थी। मत विभाजन के दौरान ऐम्बर बटन (पी) न दबाएं। यदि आपका मत दर्ज नहीं होता है तो आप पर्ची द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

मुझे आशा है कि आप लोग इस मशीन की संचालन विधि समझ गए हैं। यदि आप नहीं समझे हैं या यदि आप चाहते हैं तो मैं इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करने के लिए तैयार हूं।

अनेक माननीय सदस्य : आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा मंत्रि-परिषद में विश्वास व्यक्त करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मतविभाजन 34-52

मत विभाजन संख्या 2

अपराह्न 1.35 बजे

पक्ष में

1. अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
2. अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र
3. अजमीरा, श्री चंदू लाल
4. अनंत कुमार, श्री
5. अब्दुल्ला, श्री उमर
6. अयानूर, श्री मंजुनाथ
7. अरूमुगम, श्री एस॰
8. अर्गल, श्री अशोक
9. आचार्य, श्री प्रसन्ना
10. आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
11. आदित्यनाथ, श्री
12. आपांग, श्री ओमाक
13. आलीवाल, श्री अमरीक सिंह
14. इन्दौरा, डा॰ सुशील
15. उमा भारती, कुमारी
16. उराम, श्री जुआल
17. ऋषिदेव, श्री रामजीदास
18. एम॰ मास्टर मथान, श्री
19. कठेरिया, श्री प्रभूदयाल
20. कथीरिया, डा॰ वल्लभभाई
21. कनोडिया, श्री महेश कुमार
22. कमल रानी, श्रीमती
23. कश्यप, श्री बलीराम
24. कुप्पुसामी, श्री सी॰
25. कुमार, श्री वी॰ धनंजय
26. कुमारमंगलम, श्री पी॰आर॰
27. कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
28. कुसमरिया, डा॰ राम कृष्ण
29. कृष्णमराजू, श्री यू॰वी॰
30. कैंथ, श्री सतनाम सिंह
31. कोली, श्री गंगाराम
32. खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
33. खन्डूडी, मेजर जनरल भुवन चन्द्र, एवीएसएम
34. खन्ना, श्री विनोद
35. खांदोकर, श्री अकबर अली
36. खुराना, श्री मदन लाल

37. गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

38. गवी, श्री पी॰एस॰

39. गणेशमूर्ति, श्री ए॰

40. गफूर, श्री अब्दुल

41. गांधी, श्रीमती मेनका

42. गीते, श्री अनंत गंगाराम

43. गुप्त, श्री चमन लाल

44. गेहलोत, श्री थावरचन्द

45. गोयल, श्री विजय

46. गौतम, श्रीमती शीला

47. चन्दूमाजरा, प्रो॰ प्रेम सिंह

48. चन्देल, श्री सुरेश

49. चपलोत, श्री शान्तिलाल

50. चलामेला, डा॰ सुगुण कुमारी

51. चिखलीया, श्रीमती भावना देवराजभाई

52. चौधरी, श्री कृष्ण कुमार

53. चौधरी, श्री पंकज

54. चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई

55. चौधरी, श्री राम टहल

56. चौधरी, श्री शकुनी

57. चौधरी, श्री हरिभाई

58. चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर कमल

59. चौबे, श्री लाल मुनी

60. चौहान, श्री चेतन

61. चौहान, श्री जयसिंहजी

62. चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

63. चौहान, श्री शिवराज सिंह

64. चौहान, श्री श्रीराम

65. जगमोहन श्री

66. जटिया, डा॰ सत्यनारायण

67. जायसवाल, डा॰ मदन प्रसाद

68. जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

69. जावीया, श्री गोरधनभाई जादवभाई

70. जिगाजिनागी, श्री रमेश सी॰

71. जैन, श्री सत्य पाल

72. जोशी, डा॰ मुरली मनोहर

73. टंडेल, श्री देवजी भाई जे॰

74. ठक्कर, श्रीमती जयाबहन भरतकुमार

75. ठाकुर, डा॰ सी॰पी॰

76. डिसूजा, डा॰ बीट्रिक्स

77. तिवारी, श्री प्रभाष चन्द्र

78. तिवारी, श्री लाल बिहारी

79. तुर, श्री त्रिलोचन सिंह

80. तोमर, डा॰ रमेश चन्द

81. त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि

82. त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर

83. दत्त, वैद्य विष्णु

84. दत्तात्रेय, श्री बंडारू

85. दलित एजिलमलाई, श्री

86. दवे, श्रीमती भावना कर्दम

87. दाहाल, श्री भीम

88. दिलेर, श्री किशनलाल

89. दुराई, श्री एम॰

90. देलकर, श्री मोहन एस॰

91. देव केशरी, श्री बिक्रम

92. देवी, श्रीमती कैलाशो

93. द्रोण, श्री जगत वीर सिंह

94. द्विवेदी, श्री रमेश चन्द्र

95. धालीवाल, श्रीमती सतविन्दर कौर

96. नकवी, श्री मुख्तार

97. नाईक, श्री राम

98. नायक, श्री उपेन्द्र नाथ

99. नायडू, श्री के॰पी॰
100. नायडू, श्री गिरजला वेंकट स्वामी
101. नीतीश कुमार, श्री
102. पंत, श्रीमती इला
103. पटनायक, श्री नवीन
104. पटेल, डा॰ अशोक कुमार
105. पटेल, डा॰ ए॰के॰
106. पटेल, श्री चन्द्रेश
107. परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ
108. परांजपे, श्री दादा बाबूराव
109. पलानीमनिक्कम, श्री एस॰एस॰
110. पवार, श्री उत्तमसिंह
111. पांजा, डा॰ रणजीत कुमार
112. पांजा, श्री अजित कुमार
113. पाटसाणी, डा॰ प्रसन्न कुमार
114. पाटीदार, श्री रामेश्वर
115. पाटील, अन्नासाहिब एम॰के॰
116. पाटील, श्री जयसिंहराव गायकवाड़
117. पाटील, श्री बाबागौड़ा
118. पाटील, श्री बालासाहिब विखे
119. पाठक, श्री हरिन
120. पाण्डेय, डा॰ लक्ष्मीनारायण
121. पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार
122. पासी, श्री राजनारायण
123. पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
124. पोटाई, श्री सोहन
125. प्रधान, श्री अशोक
126. प्रधान, श्री देवेन्द्र
127. प्रभु, श्री सुरेश
128. प्रसाद, श्री हरिकेवल
129. फर्नान्डीज, श्री जार्ज
130. फोली, जनरल नेविले
131. बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
132. बचदा, श्री बची सिंह रावत
133. बनर्जी, कुमारी ममता
134. बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह
135. बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
136. बादल, श्री सुखबीर सिंह
137. बालु, श्री टी॰आर॰
138. बिसेन, श्री गौरी शंकर चतुर्भुज
139. बेहेरा, श्री पद्मा नावा
140. बैंदा, श्री रामचन्द्र
141. बैठा, श्री महेन्द्र
142. बैस, श्री रमेश
143. बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
144. बोस, श्रीमती कृष्णा
145. भार्गव, श्री गिरधारी लाल
146. मंडल, श्री जय कृष्ण
147. मरांडी, श्री बाबू लाल
148. मरांडी, श्री सोम
149. मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस॰
150. महतो, श्रीमती आभा
151. महरिया, श्री सुभाष
152. महाजन, श्रीमती सुमित्रा
153. मान, श्री जोरा सिंह
154. मारन, श्री मुरासोली
155. मिश्र, श्री इन्द्रजीत
156. मिश्र, श्री जनार्दन प्रसाद
157. मिश्र, श्री रामनगीना
158. मिश्र, श्री श्याम बिहारी
159. मिश्र, श्रीमती सुखदा
160. मुण्डा, श्री कड़िया

161. मुनिलाल, श्री
162. मुर्मु, श्री सालखन
163. मेनसिंकाई, श्री बी॰एम॰
164. मेहताब, श्री भर्तृहरि
165. मोहन, श्री आनन्द
166. मोहन, श्री के॰ पैरी
167. मोहले, श्री पुन्नू लाल
168. मौर्य, श्री आनन्द रत्न
169. यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
170. यादव, श्री सत्यपाल सिंह
171. येरननायडू, श्री के॰
172. राजपूत, श्री गंगा चरण
173. राजू, श्री एस॰ विजय रामा
174. राजे, श्रीमती वसुन्धरा
175. राजैया, श्री एम॰
176. राणा, श्री काशीराम
177. राणा, श्री राजू
178. राधाकृष्णन, श्री वारकला
179. राम, श्री ब्रजमोहन
180. रामचन्द्रन, श्री गिनंगी एन॰
181. राममूर्ति, श्री के॰ वाझापडी
182. रामशकल, श्री
183. राय, श्री कल्पनाथ
184. राय, श्री देवेन्द्र बहादुर
185. राव, श्री सीएच. विद्यासागर
186. रावत, श्री बैजनाथ
187. रावत, श्री भगवान शंकर
188. रावले, श्री मोहन
189. रेड्डी, श्री चाडा सुरेश
190. रेड्डी, श्री जी॰ गंगा
191. रेड्डी श्री भूमा नागी
192. रेड्डी, श्री एन॰आर॰के॰
193. लालुंगमौना, श्री एच॰
194. वसवा, श्री मनसुखभाई
195. वर्मा, प्रो॰ रीता
196. वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह
197. वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
198. वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
199. वर्मा, श्री वीरेन्द्र
200. वर्मा, श्री सुशील चंद्र
201. वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
202. विजयशंकर, श्री
203. वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
204. वीरेन्द्र कुमार, श्री
205. वेणुगोपाल, श्री डी॰
206. वेणुगोपालाचारी, डा॰ एस॰
207. वेदान्ती, डा॰ रामविलास
208. वैको, श्री
209. शर्मा, श्री कृष्ण लाल
210. शांता कुमार, श्री
211. शाक्य, डा॰ महादीपक सिंह
212. शास्त्री, डा॰ विजय सोनकर
213. शाह, श्री मानवेन्द्र
214. शेट्टी, श्री जयराम आई॰एम॰
215. श्रीकांतप्पा, श्री डी॰सी॰
216. श्रीनिवास, श्री एम॰
217. षणमुगम, श्री एन॰टी॰
218. संकेश्वर, श्री विजय
219. संघाणी, श्री दिलीप
220. सत्पथी, श्री तथागत
221. समांऊ, श्री चतिन सिंह
222. सरकार, डा॰ बिक्रम

223. सरनायक, श्री अजय कुमार एस॰
224. सरपोतदार, श्री मधुकर
225. सांगवान, श्री किशन सिंह
226. साक्षी, डा॰ स्वामी सच्चिदानंद हरि
227. साथी, श्री हरपाल सिंह
228. सामन्तराय, श्री प्रभात कुमार
229. साय, श्री लरंग
230. साहू, श्री चन्द्रशेखर
231. साहू, श्री ताराचंद
232. सिंधिया, श्रीमती विजयराजे
233. सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
234. सिंह, डा॰ राम लखन
235. सिंह, डा॰ संजय
236. सिंह, श्री अमर पाल
237. सिंह, श्री अशोक
238. सिंह, एच॰पी॰
239. सिंह, श्री छत्रपाल
240. सिंह, श्री जगन्नाथ
241. सिंह, श्री ज्ञान
242. सिंह, श्री तेजवीर
243. सिंह, श्री था॰ चौबा
244. सिंह, श्री दिग्विजय
245. सिंह, श्री देवी बक्स
246. सिंह, श्री नकली
247. सिंह, श्री प्रभुनाथ
248. सिंह, श्री महेश्वर
249. सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद
250. सिंह, श्री राघवेन्द्र
251. सिंह, श्री राजवीर
252. सिंह, श्री रामानन्द
253. सिंह, श्री वशिष्ट नारायण
254. सिंह, श्री वीरेन्द्र
255. सिंह, श्री सरताज
256. सिंह, श्री सुरेन्द्र
257. सिंह, श्री सुशील कुमार
258. सिंह, श्री सोहनवीर
259. सिकदर, श्री तपन
260. सिन्हा, श्री यशवन्त
261. सेठी, श्री अर्जुन
262. सेडाम, श्री बासवराज पाटील
263. सैयद हुसैन, श्री
264. सोढी, श्री दया सिंह
265. सोमपाल, श्री
266. स्वराज, श्रीमती सुषमा
267. स्वाई, श्री खारबेल
268. स्वामी, श्री चिन्मयानंद
269. हेगड़े, श्री अनंत कुमार

विपक्ष में

1. अजय कुमार, श्री एस॰
2. अनवर, श्री तारीक
3. अन्नाययागरी, श्री साई प्रताप
4. अम्बरीश, श्री
5. अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत
6. अहमद, डा॰ शकील
7. अहमद, श्री अकबर
8. अहमद, श्री ई॰
9. अहमद, श्री मोइनुल हसन
10. अहिरे, श्री डी॰एस॰
11. आचार्य, श्री बसुदेव
12. आजना, श्री उदयलाल
13. आठवले, श्री रामदास
14. आवाडे, श्री कल्लाप्पा

15. ईडन, श्री जार्ज
16. उपाध्याय, श्री रामपाल
17. उपेन्द्र, श्री पी॰
18. उस्मानी, श्री ए॰एफ॰ गुलाम
19. ओमप्रकाश, श्री
20. ओला, श्री शीश राम
21. ओवेसी, श्री एस॰एस॰
22. कमलनाथ, श्री
23. करूणाकरन, श्री के॰
24. कवाडे, श्री जोगेन्द्र
25. कहांडोले, श्री जेड॰एम॰
26. कांबल्, श्री अरविंद (कांबले)
27. कामत, श्री गुरूदास
28. कालिता, श्री भुवनेश्वर
29. किन्डिया, श्री पी॰आर॰
30. कुमार, श्री शैलेन्द्र
31. कुमार, श्रीमती मीरा
32. कुरियन, प्रो॰ पी॰जे॰
33. कुरूप, श्री सुरेश
34. कृष्णदास, श्री एन॰एन॰
35. कृष्णमूर्ति, श्री के॰
36. कोंडयया, श्री के॰सी॰
37. खां, श्री आरिफ मोहम्मद
38. खां, श्री अबुल हसनत
39. खां, श्री रिज़वान जहीर
40. खां, श्री सुनील
41. गंगाधर, श्री एस॰
42. गगोई, श्री तरूण
43. गमांग, श्री गिरिधर
44. गवई, श्री आर॰एस॰
45. गामीत, श्री सी॰डी॰
46. गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
47. गिरी, श्री सुधीर
48. गिरियप्पा, श्री सी॰पी॰एम॰
49. गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
50. गुप्त, श्री इन्द्रजीत
51. गोपाल, श्री सी॰
52. गोविन्दन, श्री टी॰
53. गोस्वामी, श्री नृपेन
54. घाटो ग्रार, श्री पवन सिंह
55. चक्रवर्ती, श्री अजय
56. चटर्जी, श्री सोमनाथ
57. चन्द्रशेखर, श्री
58. चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा॰
59. चाक्को, श्री पी॰सी॰
60. चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
61. चिदम्बरम, श्री पी॰
62. चिन्ता मोहन, डा॰
63. चित्रासामी, श्री वी॰के॰
64. चेंगारा सुरेन्द्रन, श्री
65. चौधरी, कर्नल सोनाराम
66. चौधरी, श्री ए॰बी॰ए॰ गनी खां
67. चौधरी, श्री रामरघुनाथ
68. चौधरी, श्री विकास
69. चौधरी, श्री समर
70. चौधरी, श्रीमती निशा अ॰
71. चौधरी, श्रीमती रीना
72. जनार्दनन, श्री कादम्बूर एम॰आर॰
73. जाखड़, श्री बलराम
74. जाफर शरीफ, श्री सी॰के॰
75. जालप्पा, श्री आर॰एल॰
76. जैन, श्री मीठा लाल

77. जोगी, श्री अजीत
78. जोस, श्री ए॰सी॰
79. जहेदी, श्री महबूब
80. ठाकुर, डा॰ प्रभा
81. ठाकुर, रामशेठ
82. डामोर, श्री सोमजीभाई
83. डेनिस, श्री एन॰
84. डोम, डा॰ रामचन्द्र
85. तनपुरे, श्री प्रसाद बाबूराव
86. तम्बीदुरई, डा॰ एम॰
87. तसलीमुद्दीन, श्री
88. तुपे, श्री विठ्ठल
89. तोपदार, श्री तरित बरण
90. त्यागराजन, श्री एम॰
91. थामस, श्री पी॰सी॰
92. थोरात, श्री संदीपान
93. दामोदरन, श्री एम॰सी॰
94. दास, श्री नेपाल चन्द्र
95. देवगौडा, श्री एच॰डी॰
96. देवरा, श्री मुरली
97. देवी, श्रीमती ओमवती
98. देवी, श्रीमती रमा
99. नम, श्री शंकर सखाराम
100. नरह, श्रीमती रानी
101. नागरा, श्री अमन कुमार
102. नायक, श्री ए॰ वेंकटेंश
103. नायक, श्री रवि सीताराम
104. नायक, श्री सुधाकरराव, राजूसिंग
105. निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
106. पटनायक, श्रीमती जयन्ती
107. पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह
108. पटेल, श्री दिन्शा
109. पटेल, श्री प्रफुल्ल
110. पटेल, श्री शान्तिलाल पुरूषोतमदास
111. पनबाक, श्रीमती लक्ष्मी
112. पन्नीरसेल्वम, श्री कांची
113. पन्नू, इंजीनियर शंकर
114. परमशिवम राजा, श्री
115. पलानीस्वामी, श्री के॰
116. पवार, श्री शरद
117. पाटिल, श्री भास्कर राव
118. पाटील, डा॰ उल्हास वासुदेव
119. पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
120. पाटील, श्री एम॰बी॰
121. पाटील, श्री मदन
122. पाटील, श्री माधवराव
123. पाटील, श्री रामकृष्ण बाबा
124. पाटील, श्री शिवराज वी॰
125. पाटील, श्रीमती सूर्यकांता
126. पाठक, श्री आनन्द
127. पायलट, श्री राजेश
128. पाल, श्री रूपचन्द
129. पासवान, श्री पीताम्बर
130. पासवान, श्री राम विलास
131. पुगलीया, श्री नरेशकुमार चुन्नालाल
132. प्रधानी, श्री खगपति
133. प्रमाणिक, प्रो॰ आर॰आर॰
134. प्रसाद, श्री लालू
135. प्रेमचन्द्रन, श्री एन॰के॰
136. प्रेमाजम, प्रो॰ ए॰के॰
137. फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
138. बखला, श्री जोवाकिम

139. बघेल, प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह
140. बनातवाला, श्री जी॰एम॰
141. बर्क, डा॰ शफीकुर्रहमान
142. बर्मन, श्री रनेन
143. बसु, श्री अनिल
144. बापीराजू, श्री के॰
145. बाला, डा॰ असीम
146. बिस्वाल, श्री रंजीब
147. बुडानिया, श्री नरेन्द्र
148. बैरवा, श्री द्वारका प्रसाद
149. बौरी, श्रीमती संध्या
150. भक्त, श्री मनोरंजन
151. भगत, श्री इन्द्र नाथ
152. भजनलाल, श्री
153. भारद्वाज, श्री परस राम
154. भार्गव, श्री राम शंकर
155. भूरिया, श्री कांतिलाल
156. भोंसले, श्री अभयसिंह एस॰
157. भोंसले, श्रीमती राणी चित्रलेखा
158. मंडल, श्री सनत कुमार
159. मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा
160. मगन्ती बाबू, श्री
161. मलिक, श्री राम चन्द्र
162. मल्लू, डा॰ रवि
163. महंत चरण दास, डा॰
164. महतो, श्री बीर सिंह
165. महतो, श्री राजवंशी
166. मायावती, कुमारी
167. मालविया, श्री महेन्द्रजीत सिंह
168. मीणा, श्री भेरूलाल
169. मीणा, श्री रामनारायण
170. मीणा, श्रीमती उषा
171. मुखर्जी, श्री प्रमथेस
172. मुखर्जी, श्री सुब्रत
173. मुखर्जी, श्रीमती गीता
174. मुखोपाध्याय, श्री अजय
175. मुत्तेमवार, श्री विलास
176. मुनियप्पा, श्री के॰एच॰
177. मुनूसामी, श्री के॰पी॰
178. मुरूगेसन, श्री एस॰
179. मुर्मु, श्री रूपचन्द
180. मेघे, श्री दत्ता
181. मेहता, प्रो॰ अजित कुमार
182. मोल्लाह, श्री हन्नान
183. मोहोल, श्री अशोक नामदेवराव
184. यादव, श्री अनूप लाल
185. यादव, श्री पारसनाथ
186. यादव, श्री प्रदीप कुमार
187. यादव, श्री बलराम सिंह
188. यादव, श्री मित्रसेन
189. यादव, श्री मुलायम सिंह
190. यादव, श्री सीताराम
191. यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (जहानाबाद)
192. यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
193. रंगपी, डा॰ जयन्त
194. रमैया, श्री सोडे
195. राघवन, श्री वी॰वी॰
196. राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
197. राजवंशी, श्री माधव
198. राजरतिनम, श्री पी॰
199. राठवा, श्री एन॰जे॰
200. राधाकृष्णन, श्री वारकला

201. रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
202. रामराजन, श्री
203. रामुलू, श्री एच॰जी॰
204. राय प्रधान, श्री अमर
205. राय, श्री हीरा लाल
206. राव, श्री आर॰ साम्बासिवा
207. राव, श्री के॰एस॰
208. राव, श्री गुरूनाधा
209. राव, श्री नादेन्दला भास्कर राव
210. रियान, श्री बाजू बन
211. रेड्डी, डा॰ बी॰एन॰
212. रेड्डी, डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर
213. रेड्डी, श्री एन॰ जनार्दन
214. रेड्डी, श्री एम॰ बागा
215. रेड्डी, श्री एस॰ जयपाल
216. रेड्डी, श्री एस॰ सुधाकर
217. रेड्डी, श्री के॰ विजयभास्कर
218. रेड्डी, श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलू
219. रेड्डी, श्री वेंकटरामी, अनन्त
220. रेड्डी, डा॰ टी॰ सुब्बारामी
221. रोसैया, श्री कोनिजेटी
222. लाहिड़ी, श्री समीक
223. वांचा, श्री राजकुमार (वांचा)
224. वरपुडरकर, श्री सुरेश
225. वर्मा, कुमारी विमला
226. वर्मा, श्री बेनी प्रसाद
227. वर्मा, श्री रवि प्रकाश
228. वर्मा, श्रीमती उषा
229. वासनिक, श्री मुकुल
230. विजय, श्री विजय कुमार
231. वेणुगोपाल, श्री के॰
232. वोरा, श्री मोतीलाल
233. शंकरन, श्री पी॰
234. शमानुर, श्री शिवशंकरप्पा
235. शहाबुद्दीन, मोहम्मद
236. शिंदे, श्री सुशील कुमार
237. शिव शंकर, श्री पी॰
238. शेरवानी, श्री सलीम इकबाल
239. श्रीनिवासन, श्री सी॰
240. संगमा, श्री पूर्णो ए॰
241. सईद, श्री पी॰एम॰
242. सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
243. सत्यमूर्ति, श्री वी॰
244. सर, श्री निखिलानन्द
245. सरोज, श्री दरोगा प्रसाद
246. सरोजा वी॰, डा॰
247. सांगतम, श्री के॰ए॰
248. सारदीना, श्री फ्रांसिस्को
249. सिंधिया, श्री माधवराव
250. सिंह, राव इन्द्रजीत
251. सिंह, श्री कीर्ति वर्धन
252. सिंह, श्री के॰ नटवर
253. सिंह, श्री बूटा
254. सिंह, श्री मोहन
255. सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद
256. सिंह, श्री राजो
257. सिंह, श्री लक्ष्मण
258. सिद्दराजू, श्री ए॰
259. सुधीरन, श्री वी॰एम॰
260. सुब्बा, श्री मोनी कुमार
261. सुल्तानपुरी, श्री के॰डी॰
262. सेठ, श्री लक्ष्मण चन्द्र

263. सेन, श्रीमती मिनाती

264. सेल्वारासु, श्री एम॰

265. सोज, प्रो॰ सैफुद्दीन

266. सोय, श्री विजय सिंह

267. स्वामी, डा॰ सुब्रह्मण्यम

268. हमीद, श्री अब्दुल

269. हाण्डिक, श्री विजय कृष्ण

270. हुड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं आप सभी से अपने-अपने स्थान पर जाने की अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	269
विपक्ष में	:	270

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 19 अप्रैल, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 अप्रैल 1999/ 29 चैत्र, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।